

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन संख्या—02 / 2026

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – 10.03.2026

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

- पद का नाम :—सहायक प्राध्यापक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय
- वेतनमान :—Pay Scale- Entry Pay Rs. 57,700/- Level 10
- परीक्ष्यमान अवधि :— 2 वर्ष
- रिक्तियों का विवरण :—

क्र0 सं0	संकाय का नाम	कुल रिक्तियाँ	Vertical Reservation			Horizontal Reservation against total vacancy
			ST	SC	BC-I	
1.	Information Technology	01	01	00	00	01
2.	Metallurgical Engineering	02	02	00	00	01
3.	Chemistry	05	03	01	01	01
4.	Physics	03	02	01	00	01
		Total	11	08	02	04

- उम्र गणना की तिथि:—

उक्त पद हेतु आवेदकों के उम्र गणना की तिथि 01.08.2025 होगी।

- उम्र सीमा :—

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है।
- झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली—2024 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। आवेदन करने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नोट:— चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी 65 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. अहस्ता:-Required Qualification and Experience for direct appointment in Government Engineering Colleges.

Cadre Post	Minimum qualification
Assistant Professor (Level- 10, Entry Pay Rs. 57,700/-)	<p>For Engineering/Technology: B.E/ B.Tech/B.S. and M.E./ M.Tech./ M.S. or Integrated M.Tech. in relevant branch with First Class or equivalent in any one of the degrees in the relevant branch. Note : Candidates who have done Ph.D. after the Bachelor's Degree from institution of National importance with GATE/GPAT/CEED shall also be eligible for this post.</p> <p>Science and Humanities</p> <p>Eligibility (A or B)</p> <p>A. (i) A Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject form an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University. (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or CSIR/JET (Jharkhand Eligibility Test) or who are or have been awarded a Ph.D Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/JET.: Provided, the candidates registered for the Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the existing Ordinances/By-laws/Regulations of the University/Institution awarding the degree and such Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/JET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ colleges/ Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:- (a) Ph.D degree has been awarded to the candidate in a regular mode; (b) The Ph.D thesis has been evaluated by atleast two external examiners; (c) An open Ph.D viva voce of the candidate has been conducted; (d) Candidate has published two research papers from his/her Ph.D work, out of which at least one is in a referred journal/peer reviewed journal; (e) The candidate has presented at least two papers, based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/AICTE/ICSSR or any other similar agency. The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the world University Ranking (at any time) by Quacquarelli Symonds (QS)</p> <p>Note- The clearing of NET/JET shall not be required for candidates in such disciplines for which NET/JET has not been conducted. A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed) at the Master's level shall be the essential qualification for direct recruitment of teachers and other equivalent cadres at any level. A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes (OBC) (Non-creamy Layer)/Differently-abled (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness. (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness) for the purpose of eligibility and assessing good academic record for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure. A relaxation of 5% shall be provided (from 55% to 50% of the Marks) to the Ph.D Degree holders who have obtained their Master's Degree prior to 19 September 1991. A relevant grade which is regarded as equivalent of 55%, wherever the grading system is followed by a recognized university, at the Master's Level shall also be considered valid.</p>

8. (क) चयन का आधार :—राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद के लिए निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा:—

S.N.	Academic Record/Achievements	Score		
1.	Graduation	60% & Above=15	55% to less than 60%=10	45% to less than 55%=05
2.	Post-Graduation	60% & Above=20	55% (50% in case of SC/ST/OBC (Non creamy layer)/PWD) to less than 60%=15	
3.	M. Phil (For Science and Humanities)	60% & Above=07	55% to less than 60%=05	
4.	Ph.D		15	
5.	A. For Science and Humanities			
	NET with JRF		15	
	NET/JET (Jharkhand Eligibility Test)		10	
B. For Engineering/Technology				
	Qualified GATE with more than 95 percentile		15	
	Qualified GATE with more than 90 and less than or equal to 95 percentile		12.5	
	Qualified GATE with more than 85 and less than or equal to 90 percentile		10	
	Qualified GATE with less than or equal to 85 percentile		7.5	
6.	Research Publications (published papers in UGC listed journals, Best paper/ poster award, Authored/ Co-authored books/ chapters in edited books		8 (As per Schedule-I attached herewith)	
7.	Teaching/Post Doctoral Experience (02 marks for one year each) #		4	
8.	Awards (Maximum 3 marks)			
	International/National Level (Awards given by International Organizations/ Government of India / Government of India recognized National Level Bodies (01 marks per award)		03	
	State-Level (Awards given by State Government/State Govt. recognized State level bodies) (0.5 mark for each award)		02	
9.	Interview		20	

a) However, if the period of continuous teaching/Post-doctoral experience is less than one year but more than six months then 01 mark shall be provided. No fractional marks to be given.
 b) Need Based Teachers/Contractual Teachers recruited under the Higher and Technical Education Department, Government of Jharkhand will get 01 additional mark per year of continuous teaching, upto a maximum of additional 5 marks. However, the total marks awarded to such Need Based Teachers/Contractual Teachers out of 80 for Academic record/achievements shall be capped at 80 marks.

- c) The period of time taken by candidates to acquire M.Phil and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience.
- d) Candidates completing Ph.D. directly after B.E./B.Tech shall be awarded full marks for Post Graduation.
- e) Candidates completing 5 year integrated M.E./M.Tech course where marks for B.E./B.Tech is not given separately, their marking for graduation shall be done on the basis of marks awarded for M.E./M.Tech.

Note:-

(A)	(i) M.Phil + Ph.D	-	Maximum 15 Marks
	(ii) JRF/NET/JET	-	Maximum 15 Marks
	(iii) GATE	-	Maximum 15 Marks
	(iv) In awards category	-	Maximum 03 Marks

(B) As per sl. No. 1 to 8 of above Table, merit list will be made and 05 times candidates against each post will be called for document verification. After document verification, amongst the candidates present in document verification, 03 times candidates against each post will be called for interview.

(C) Selection of candidates will be done as per the Merit list prepared as per Marks obtained for Academic Record/Achievements and Interview as per the Table above

(D) Formula of GATE Percentile:

$$P = \left(\frac{N-R}{N} \right) \times 100$$

Where

P = Percentile

N = Number of candidates appeared in the paper

R = All India Rank in the paper.

Schedule-1	
Publication: Maximum 8 Marks	
(i)	Published papers in Peer-reviewed or UGC listed journals: max. 01 mark per paper#.
(ii)	Best Paper/ Poster award at a National/International Symposium/ Conference: 1 mark/paper or poster.
(iii)	Books with ISBN nos: <ul style="list-style-type: none"> (a) Authored Book: max 03 marks/book.# (b) Chapter in Edited book: max 0.75 mark/chapter.#
#:	
Marks for joint publication will be calculated in the following manner:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Joint publication having two authors, Of the total score the first/principal author will get 60% of the maximum marks allotted and the second author will get rest of the 40% of the maximum marks allotted. b) Joint publication having more than two authors: Of the total score the first/ principal author will get 50% of the maximum marks allotted, the second author will get 30% of the maximum marks allotted and rest of the others will share equally the 20% of the maximum marks allotted. 	

Note:

(i) **वर्ग श्रेणी:**

यदि कोई वर्ग/श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, तो कुल प्राप्त अंको के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को ही प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। जब सी0जी0पी0ए0 प्रदान किया गया है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान का परिवर्तन सूत्र, यदि उपलब्ध है, तो मान्य होगा अन्यथा AICTE का उपलब्ध परिवर्तन सूत्र अपनाई जाएगी जो निम्नवत है:-

ग्रेड प्लाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(ii) **पी0एच0डी0 के लिए समकक्षता (केवल इंजीनियरीग/प्रौद्योगिकी विषयों हेतु) :**

पी0एच0डी0 के लिए समकक्षता 5 SCI Journals के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से अन्यून हो, जिसमें पदधारक मुख्य लेखक है तथा सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र है।

विकल्पःव्यक्ति ने कम से कम दो पेटेंट प्राप्त किए होने चाहिए अथवा वह राष्ट्रीय अकादमियों में से किसी के फैलो के रूप में निर्वाचित हो।

(iii) **बी0ई0/बी0टेक0 के पश्चात् सीधे पी0एच0डी0 करने हेतु पात्रता:**

पदों के विभिन्न स्तरों के लिए बी0ई0/बी0.टेक0 के पश्चात् सीधे प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की अर्हता तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे कि आई0आई0टी0/आई0आई0एस0सी0/एन0आई0टी0 इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। आगे यह भी की, उम्मीदवार ने इंजीनियरीग/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो।

(iv) **प्रासंगिक डिग्री की नामावली:**

AICTE Regulation (Degree)-2019 की कंडिका-7.4 में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। यदि AICTE की परिधि में कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार समकक्षता पर निर्णय पाठ्यक्रम के आधार पर लेगी।

(v) **पी0एच0डी0 डिग्री की अनुमान्यता:**

नियुक्ति हेतु पी0एच0डी0 की डिग्री अनुमान्य होगी बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की डिग्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए निम्न शर्तों को पूरा करते हुए प्राप्त की गयी हो—

(क) अभ्यर्थी को पी0एच0डी0 की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गयी हो;

(ख) पी0एच0डी0 शोध प्रबंध कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो,

(ग) पी0एच0डी0 के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी0एच0डी0 कार्य को दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

(ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आई0सी0एस0आर0/सी0एस0आई0आर0 अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पी0एच0डी0 कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसंचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

उक्त निदेश समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पी0एच0डी0 से संबंधित दिशा निदेशों से प्रभावित होगा।

(vi) सीधी भर्ती के लिए पूर्व सेवा की गणना : किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR, ICMR, DBT or PSUs आदि में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक अथवा समकक्ष आदि के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना सहायक प्राध्यापक/सहप्राध्यापक/प्राध्यापक/व्याख्याता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/कार्यशाला अधीक्षक अथवा अन्य नाम पद्धति के रूप में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के लिए की जाएगी, बशर्ते कि:—

(क) धारित पद की अनिवार्य योग्यताएं सहायक प्राध्यापक के लिए, AICTE/UGC द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।

(ख) पद धारक सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, रीडर, प्राध्यापक, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक, प्राचार्य के पद की ही भाँति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान (जिसका सत्यापन नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, Form 16 आदि से किया जा सकता है) में है/था।

(ग) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल उचित माध्यम से किया गया हो।

(घ) संबंधित व्यक्ति सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति के लिए AICTE द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हो।

(ङ) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय/संबंधित संस्था के विनियमों में यथा निर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।

(च) पूर्व नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं हो। एक वर्ष से अधिक की तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकती बशर्ते कि—

- (i) सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी;
- (ii) पदधारक की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी;
- (iii) पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था;
- (iv) सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वपेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी / संविदा / तदर्थ) से दिया जाएगा;
- (v) पदधारक किसी नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून कुल सकल परिलक्षियां आहरित कर रहा था (जिसका सत्यापन नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, Form 16 आदि से किया जा सकता है), तथा
- (vi) चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों, तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।

(छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में वहां कोई विभेद नहीं किया जाएगा, जहां की गई पूर्व सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

(vii) विभागान्तर्गत संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक, आवश्यकता आधारित शिक्षक, को उनके सम्बंधित शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन करने के लिए Extra Weightage का लाभ उक्त तालिका अनुसार अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु ही दी जाएगी। यह प्रावधान मात्र वैसे शिक्षकों के लिए है, जो विभागान्तर्गत संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में संविदा पर या आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं अथवा कार्यरत हैं। यह प्रावधान एकल अवसर के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित प्रथम विज्ञापन के लिए हैं। भविष्य में उसी शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन में संविदा आधारित शिक्षक अथवा अंशकालीन सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु Extra Weightage का प्रावधान लागू नहीं होगा।

(viii) **Scheme of Selection:**

The process of selection of Assistant Professor in Engineering college shall involve the inviting of the application developed by the Jharkhand Public Service Commission (JPSC), based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in Table of clause 8 of advertisement and reprints of all significant publications of the candidates provided that the publications submitted by the candidate have been published during the qualifying period.

1. The Commission shall prepare a merit list in order of preference furnished by the candidate and on the basis of vacancies and reservation roster and shall send recommendation to the appointing authority.
2. Final merit list shall be prepared from the aggregate marks obtained in both academic and interview stages. In the event of total marks obtained from educational qualifications, interview and experience being the same, candidates having higher marks in Post Graduation will be placed higher in the final merit list. In the event of candidate having same educational qualifications marks, candidate who is older in age according to the date of birth will be placed higher in the final merit list.

9. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के Evaluation of work knowledge and Teaching skill/Research performance and Quality of Publication तथा Academic record सभी के कुल प्राप्तांक को जोड़कर न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार से होगा—

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)	—	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति	—	32%

उपर्युक्त न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता साक्षात्कार के लिए भी लागू होगी।

10. आरक्षण :—आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

- (a) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (b) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः—

(i) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति—झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV अथवा पत्रांक—1361, दिनांक—03.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र—IV (संशोधित) अथवा पत्रांक—2669, दिनांक—10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र—V (संशोधित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर देय होगा।

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—5682, दिनांक—22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—I में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग—(अनुसूची—I):—झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग—(अनुसूची—I) कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 के अधीन प्रपत्र—XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—10007, दिनांक—29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—II में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 के अधीन प्रपत्र—XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) झारखण्ड सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/प्रपत्र—11 Required अंकित हो तो Form-XI/प्रपत्र—11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।
- (ii) केन्द्र सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य जाति प्रमाण—पत्र (Central Government Format) मान्य नहीं होगा।
- (iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक—235, दिनांक—10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आवृजित महिलाओं को आवृजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।
- (iv) जाति प्रमाण—पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (vi) आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निःशक्तता का लाभ :—

- (i) निःशक्तता का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।
- (ii) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—2249, दिनांक—03.04.2018 के आलोक में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार

पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। निःशक्तता प्रमाण पत्र की रवअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

12. परीक्षा शुल्कः—

- (i) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹0-600 (छ: सौ) मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट-झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0-150/- (एक सौ पचास) मात्र है। परीक्षा शुल्क में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249, दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (v) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द कर दिए जायेंगे।
- (vi) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देशः

- (a) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित रवहस्ताक्षरित प्रति तथा कंडिका-14(i) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के स्पष्ट एवं पठनीय रवअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों-हाथ आयोग कार्यालय के पते “परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001” पर निर्धारित तिथि-23.03.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, Registration No., विषय एवं पदनाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कर्तई जिम्मेवार नहीं होगा।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर OTR (One Time Registration) System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।
- (c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (d) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित e-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन

तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।

- (e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (f) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (g) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- (h) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वे सभी वांछित अर्हताएँ पूर्ण करते हों तथा सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन पत्र भरते समय उपलब्ध हो।
- (i) Online आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं Offline mode में प्राप्त आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। OTR के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी वांछित अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (j) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र भरने के पूर्व “How to register for OTR” (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.- +918929883832 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (k) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Email id-helpdesk@jpscotr.com एवं Technical Help Line No.- +918929883832 पर कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (l) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- +918929883832 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (m) One Time Registration System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (n) Online आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (o) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (p) जन्म तिथि आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (q) अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन की कंडिका-14(i) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

- (r) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (s) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करेंगे।
- (t) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (u) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :—

- (i) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्राप्ति प्रतियां (Self attested copy) दो सेट में अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे :—
 - (a) Printed copy of Examination Fee Receipt.
 - (b) 10th/Matriculation Certificate and Mark Sheet.
 - (c) 12th/Intermediate Certificate and Mark Sheet.
 - (d) Graduation Certificate and Mark Sheet.
 - (e) Post Graduation Certificate and Mark Sheet.
 - (f) NET/JET Passing Certificate.
 - (g) JRF Award Letter/Certificate.
 - (h) M.PhilDegree Certificate and/or Notification, its registration certificate & marksheets.
 - (i) Ph.D Degree Certificate and/or Notification, its registration certificate & marksheets alongwith certificate as per clause 8 Note (v) of advt. for validity of Ph.D degree.
 - (j) GATE Score Card
 - (k) If exemption of NET/JET or equivalent test accredited by UGC is claimed, then any of applicable documents mentioned below: -
 - (i) Certificate issued by competent authority* if Ph.D. Degree registration is done before 11.07.2009 as per clause 5(A)(ii)(a to e) of the advertisement.
 - (ii) If Ph.D Degree is awarded on the basis of “UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations” but is not mentioned in the Ph.D. Degree Certificate and/or Notification then Certificate issued by competent authority* certifying that the Ph.D degree has been awarded on the basis of “UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations”

*Registrar/Dean (Academic Affairs) of the concerned University.

- (l) Local Residential Certificate and Caste Certificate in prescribed format as mentioned in the clause 10 of the advertisement (If applicable).
- (m) Certificate of Physical Disability issued by competent authority as per clause-11 of the advertisement (if applicable).
- (n) Post Doctoral experience certificate issued by competent authority.

- (o) Teaching experience certificate issued by competent authority along with appointment letter.
- (p) Publications related documents as per Appendix-A of the advertisement.
- (q) OGPA/CGPA/Grade Points to percentage conversion document for Graduation, Post Graduation and M.Phil (If applicable).
- (r) NOC (No Objection Certificate) issued by competent authority i.e. present Employer (If applicable).
- (s) Aadhaar card or other Personal Identification document.
- (t) Any other documents as per the advertisement and information given in the application form.

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, Registration No., विषय एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

15. अन्य शर्तें :—

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र को पूर्णरूपेण समर्पित करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित रखरखताक्षरित प्रति के साथ आवश्यक अनुलाग्नक सहित दिनांक—23.03.2026 तक समर्पित करने पर ही विज्ञापित पदों हेतु आवेदन स्वीकार्य किये जायेंगे।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) साक्षात्कार आयोजन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (v) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी रूपरेखा के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख (विज्ञापन की कांडिका—14(i) में उल्लेखित प्रमाण पत्र को छोड़) उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- (viii). अपूर्ण तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Misbehaving in any other manner in the interview premises, or

- (b) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their interview, or
- (c) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
- (d) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17. अंतिम तिथि :-

- (i) आवेदक One Time Registration System के माध्यम से दिनांक—18.02.2026 से 10.03.2026 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ii) दिनांक—10.03.2026 के बाद दिनांक—12.03.2026 अपराह्न 5.00 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (iii) आवेदक कंडिका—14(i) के अनुसार Online आवेदन की रवअभिप्रमाणित मुद्रित प्रति एवं उक्त कंडिका में उल्लेखित सभी प्रमाण—पत्रों की रवअभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 Size papers हेतु उपयुक्त लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों—हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेंजे कि दिनांक—23.03.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक Controller of Examinations, Jharkhand Public Service Commission, Circular Road, Ranchi-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (iv) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कर्तव्य जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र रवीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नक—(i) APPENDIX-A

ह० /—
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रौची।

Appendix –A

1. Academic Records/Achievements:

Sl. No.	Standard/ Degree	Full Marks/ CGPA/O GPA etc.	Obtained Marks/ CGPA/ OGPA etc.	% of Marks	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.	Graduation					
2.	Post Graduation					
3.	M.Phil (For Science Subjects)					

Note :Percentage of Marks to be filled above should be done as per Instructions given below :-

- i. If CGPA/OGPA/Grade Points etc. is given in the Grade sheets/Mark Sheets then percentage should be calculated as per documents available/issued by concerned Board/ Institution/University for CGPA/OGPA/Grade Points etc. to percentage conversion. If CGPA/OGPA to percentage conversion formula is not provided by the candidate then marks will be allotted as per the conversion formula mentioned in clause 8. Note (i)
- ii. If percentage is given in the Mark sheets then same should be filled.
- iii. If percentage is not given in the Mark Sheets but is understood to be calculated from marks/terms and conditions given in the Mark Sheets, then accordingly percentages should be calculated and filled.
- iv. For Science/Humanities subjects, percentage should be filled for Honours subjects for Honours degree.

2. (a) Ph.D Degree/ NET/JET: -

Sl.No.	Ph.D/NET/JET details	Yes/No	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.	Ph.D.			
2.	NET with JRF			
3.	NET/JET without JRF			

(b) Ph.D Equivalency(For Engineering/ Technology subjects only): -

Are you claiming for Ph.D equivalency: Yes No

If yes then √ the appropriate condition for Ph.D equivalency

i. Publication of 05 SCI Journals whose Cumulative Impact Factor (संचयी प्रभाव सूचकांक) is more than 2.0

Sl.No.	Name of SCI Journal	Cumulative Impact Factor	Whether Main Author or not?	Mention the page no. where relevant Journal is enclosed
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note : Attach separate sheet(s) in the above format after this page if SCI Journals are to be added to the above list.

ii. Candidate has atleast 02 patents

Sl.No.	Name of Patent	International/National	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.			
2.			

iii. Candidate has been elected as a Fellow in a National Academy

Sl.No.	Details	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.		

Note: If a candidate posses both M.Phil & Ph.D degree then maximum 15 marks will be only allotted irrespective of possessing both the degrees.

If you have not passed NET/JET, then put appropriately in boxes below :-

(i) Have you obtained Ph.D Degree on the basis of UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations : Yes No

OR

(ii) Have you registered for Ph.D programme prior of July 11, 2009 and have obtained the Ph.D degree :

Yes No

OR

(iii) For discipline (s) in which you have done Post Graduation, NET/JET is not conducted :

Yes No

(c) GATE: -

Sl.No.	Exam	Qualified (Yes/No)	Percentile as per formula mentioned in clause-8 (Note D) of advt.	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.	GATE				

Details of Publications-

3. Papers published in Peer reviewed or UGC listed journals :

Sl. No.	Title of published paper	Name of Journal	ISSN No.	Peer reviewed /UGC listed	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant publications are enclosed alongwith proof of Peer reviewed or UGC listed
1.							
2.							
3.							
4.							

5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Note : i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional published papers are to be added to the above list.
ii. Self attested pages of relevant pages of the published papers wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

4. Best Paper/Poster Award:

Sl. No.	Title of Paper/ Poster Award	Name of Symposium/ Conference	National/International	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.					
2.					
3.					
4.					

Note : i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional best paper/poster awards are to be added to the above list.
ii. Self attested pages of relevant pages of the books wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

5. (i) Books :

Sl. No.	Name of Book	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	ISBN No.	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed. Also attach cover page of book, index page alongwith proof of ISBN no.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

5. (ii) Chapters in books :

Sl. No.	Name of Chapter	Name of Book	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	ISBN No.	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed. Also attach cover page of book, index page alongwith proof of ISBN no.
1.						
2.						
3.						

4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Note : i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional books/chapters in books are to be added to the above list.

ii. Self attested copies of relevant pages of the books, chapters, content etc. must be attached so that above mentioned details could be easily verified.

6. **Details of Post Doctoral experience/Teaching experience (Note : The period of time taken by candidate to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience)**

Sl No.	Name of Post	Research/Teaching	Name of University/College/Institution	Duration (YY-MM-DD)	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant certificates are enclosed. Also attach related appointment letter/notification
1.						
2.						
3.						

4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Note: Whether you have worked as a Need Based Teacher/Contractual Teacher under Higher & Technical Education Department, Jharkhand : Yes No.

If yes, then please mention no. of years of continuous teaching- Year(s).

Additional marks as per clause #b of clause-8

7. Award :

Sl. No.	Name of Award	International/National /State Level	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional awards are to be added to the above list.
 ii. Self attested copies of the relevant pages of awards wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

8. Total of Weightage marks claimed by candidate from Sl. Nos. 1 to 7 (out of 80)

9. List of enclosures: Self attested Photocopies of the documents should be attached serially and paging must be done correctly: -

Sl. No.	Document	Enclosed – Yes or No	Enclosed as page No(s).
1.	Printed copy of online application		
2.	Printed copy of Examination Fee receipt		
3.	10 th /Matriculation Certificate		
4.	10 th /Matriculation Mark sheet		
5.	12 th /Intermediate Certificate		
6.	12 th /Intermediate Mark sheet		
7.	Graduation Degree Certificate		
8.	Graduation Mark sheet		
9.	Post Graduation Degree Certificate		
10.	Post Graduation Mark sheet		
11.	M.Phil Degree Certificate /Notification		
12.	M.Phil Marksheets		
13.	M.Phil Registration Certificate		
14.	Ph.D Registration Certificate		
15.	Ph.D result declaration certificate/notification		
16.	Ph.D. Degree Certificate/Provisional degree certificate		
17.	Certificate as per clause 8 Note (v) of advt. for validity of Ph.D degree.		
18.	NET/JET		
19.	JRF		
20.	GATE		
21.	If exemption of NET/JET is claimed then Certificate issued by competent authority that Ph.D Degree is obtained in accordance with UGC prescribed Minimum Standard and Procedure Regulation 2009, as amended vide 2016 Regulations (If it is not mentioned in the Ph.D. Degree Certificate and/or Notification).		

22.	If exemption of NET/JET is claimed then Certificate issued by competent authority if Ph.D. Degree registration done before 11.07.2009 as per clause 7A(ii)(a to e) of the advt.		
23.	Caste Certificate		
24.	Local Residential certificate		
25.	Certificate of Physical disability (if applicable)		
26.	Post Doctoral Experience certificates along with appointment letter		
27.	Teaching experience certificate along with appointment letter		
28.	Document(s) wherein rule for converting OGPA/CGPA/Grade Points etc. to percentage is mentioned		
29.	No Objection Certificate from present Employer(if applicable)		
30.	Aadhaar Card		
31.*			
32.*			
33.*			
34.*			

* Blanks in the above can be filled by candidate for additional relevant documents enclosed after Sl. No.30 suitably mentioning the name of the document(s) in support of information given in the application form.

Note : i. If anything is written on both sides of Mark Sheets and Degree Certificates, then photocopies of both sides of the documents should be enclosed.

ii. Paging of the enclosures should be done on either sides of the documents if anything is written. For blank pages paging should not be done.

iii. Enclosures should be attached with the application in two sets. Paging of the same documents should be same in both the sets.

Signature of candidate

Name :

Registration no.

Date:-.....